



कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)



प्रधान कार्यालय:- टी.सी.-38-बी. विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2991475 फैक्स: +91 522 2991476

Visit us at : www.cdsupjn.org

e-mail:-director@cdsupjn.org

पत्रांक: 20/5-9-1300-2/विद्युत सुरक्षा/01

दिनांक: 11/01/11

अल्प कालीन निविदा सूचना

निदेशक सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु सी० एण्ड डी० एस० में मंजीकृत / सूचीबद्ध ठेकेदारों से मोहरबन्द कोटेशन दिनांक 19.01.2011 अपरान्ह 15.00 बजे तक कार्यालय निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, टी०सी०- 38, बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन दिनांक 19.01.2011 को 15.30 बजे उक्त कार्यालय में ठेकेदारों उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित हों, के समक्ष खोले जायेंगे।

क्रम	विवरण	निर्माण अवधि	स्थान
(1)	132 क.बी. उपकेंद्र, स्वचलित प्रणाली युक्त एस०ए०एस०। कुन्दरकी का 'टर्नकी' आधार पर निर्माण	12 माह	कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद
(2)	220 क.बी. उपकेंद्र, स्वचलित प्रणाली युक्त एस०ए०एस०। टांडा का 'टर्नकी' आधार पर निर्माण	18 माह	टांडा, जनपद अम्बेडकरनगर

शर्त:-

- स्वीकृत न्यूनतम दर के उपरान्त सम्यन्वित कोटेशन दाता एग्जिमेंट के समय कार्य की लागत का 2 प्रतिशत जमानत धनराशि सफ्टवेरकृत बैंक की एक०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी०/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी जो निदेशक सी० एण्ड डी० एस० उ० प्र० जल निगम लखनऊ के नाम बंधक होगी। प्रत्येक रनिंग बिल से बैंक की धनराशि को 8 प्रतिशत को कटौती जमानत धनराशि के मद में की जायेगी। इस प्रकार जमानत के मद में रोक़ी गये धनराशि (10) कार्य पूर्ण होने एवं रखरखाव अवधि 2 वर्ष 6 माह बाद तक 132 क.बी. व 220 क.बी. उपकेंद्र हेतु जमा रहेगी। यदि ठेकेदार उक्त धनराशि वापस लेना चाहें तो समतुल्य धनराशि की एक०डी०आर०/सी०डी०आर० /एन०एस०सी०/बैंक गारन्टी जो निदेशक सी० एण्ड डी० एस० के नाम उक्त अवधि के लिए बंधक हो, जमा करनी होगी।
- कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक घट-बढ़ सकती है।
- नियमानुसार व्यापार कर/आयकर/ या अन्य कोई कर कोटेशन दाता को देना होगा।
- कोटेशन प्रपत्र दिनांक 19.01.2011 तक कार्यालय निदेशक, सी०एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, टी०सी०-38,बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में क्लिन्ट भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- कोटेशन जमा करते समय ठेकेदार को प्रार्थना-पत्र के साथ एग्जिमेंट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- एक अथवा समस्त कोटेशन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
- सी०एण्ड डी० एस० में मंजीकृत/सूचीबद्ध ठेकेदारों को ही कोटेशन निर्गत की जायेंगी।
- कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का प्रमाण-पत्र निदेशक, विद्युत सुरक्षा से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 132 क. बी. एवं 220 क. बी. सबस्टेशन के निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष तक सफल संचालन एवं अनुरक्षण कार्य ठेकेदार को करना होगा। पावर ट्रांसफार्मर की गारन्टी 5 वर्ष की होगी तथा अन्य उपकरणों की गारन्टी 12 माह के परिचालन अथवा 18 माह डिस्पैच के तिथि से, जो पहले हो, होगी। प्रश्नगत अवधि के अन्तर्गत किसी भी उपकरण के क्षतिग्रस्त होने की दशा में ठेकेदार को repair /replacement जैसे भी स्थित हो, करना होगा जिसकी सी०एण्ड डी० एस० द्वारा कोई

अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः जमानत के मद में पावर ट्रांसफार्मर की लागत की 10% धनराशि 5 वर्ष 6माह बाद ही वापस की जायेगी इस धनराशि को वापस लेने के लिये समतुल्य धनराशि की एफडीआर / सीडीआर / एनएससी बैंक गारन्टी अलग से देय होगी।

हो

(अजेय रस्तोगी)
महाप्रबन्धक(नि-12)

पुसो एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

वितरण:

1. निदेशक सीएण्ड डीए एस0,3050 जल निगम लखनऊ।
2. सम्यन्धित मुख्य महाप्रबन्धक, सीएण्ड डीए एस0 डी0एस0,30प्र0 जल निगम।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सी0 एण्ड डी0एस0,3050 जल निगम, लखनऊ।
4. तकनीकी सलाहकार (विद्युत), सी0 एण्ड डी0एस0,30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. सी0 एण्ड डी0एस0, में विद्युत कचरे हेतु समस्त इन्फोर्मेशन ऑफ सी0एण्ड डी0 एस0 की website के माध्यम से।
6. नोटिस बोर्ड हेतु।
7. गार्ड फाइल।

Am

महाप्रबन्धक (नि-12)